न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण क्रमांक:—120/23 दायर दिनांक:— 18.07.2023

जीसीएमएस नं. 2023/316

1. अमृतलाल पुत्र श्री कार्या जाति जाटव निवासी ग्राम लहचौड़ा तहसील सूरौठ जिला करौली राज0
2. देवीसिंह पुत्र श्री कार्या जाति जाटव निवासी ग्राम लहचौड़ा तहसील सूरौठ जिला करौली राज0
3. संजीव कुमार पुत्र श्री कार्या जाति जाटव निवासी ग्राम लहचौड़ा तहसील सूरौठ जिला करौली राज0
4. विरमोदेवी पुत्री कार्या पत्नी ओमप्रकाश, जाति जाटव, निवासी बडकापुरा तन हिण्डौनसिटी, जिला करौली।
5. ओमवती पुत्री कार्या पत्नी मुकेश, जाति जाटव, निवासी नंगला शील, तहसील भुसावर जिला भरतपुर
6. ममता पुत्री कार्या पत्नी राकेश कुमार, जाति जाटव, निवासी नंगला शील, तहसील भुसावर जिला भरतपुर
7. दख्योदेवी बेवा कार्या जाति जाटव, निवासी निवासी ग्राम लहचौड़ा तहसील सूरौठ जिला करौली राज0
8. मोहनलाल पुत्र सुक्की जाति जाटव, निवासी निवासी ग्राम लहचौड़ा तहसील सूरौठ जिला करौली राज0

——वादीसायल

बनाम

1. सुफेदी पुत्री तुरसन पत्नी भंवरसिंह, जाति जाटव, निवासी— बिहारी का पुरा रेवई, तहसील—हिण्डौनसिटी, जिला करौली राज0
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब, तहसील— सूरौठ, जिला— करौली राज0

——प्रतिवादीगण गैरसायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित —1.श्री शांतिलाल करसोलिया प्रार्थी
2.श्री मुरारीलाल करौसोलिया अप्रार्थी
न01 अप्रार्थीगण 2

Signature No
Digitally signed
Date: 2024.09.2
Reason: SelfAtt

निर्णय दिनांक 27.3.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सायलान की कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि आराजीयात खसरा नम्बर 1587 रकवा 0.22 है0 खसरा नम्बर 1590 रकवा 1.30 है, खसरा नम्बर 1612 रकवा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1624 रकवा 0.07 है0 खसरा नम्बर 1587/1971 रकवा 0.14 है0 वाक ग्राम लहचौडा, तहसील सूरौठ, जिला करौली में स्थित है, जिसमें सायलान का 1/2 हिस्सा एवं गैरसायल संख्या 01 का 1/4 हिस्सा एवं मूल दावे के प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 का 1/4 हिस्सा बदस्तूर रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी

सायल संख्या 01 लगायत 07 का पिता व पति एवं सायल संख्या 08 के भाई तथा गैरसायल नम्बर 01 व मूल दावे के प्रतिवादी नम्बर 02 लगायत 05 के पिता आपस में सगे भाई थे, गैरसायल नम्बर 01 का पिता तुरसन के लडका (पुत्र) नहीं होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद वारिसान में उनकी विधवा श्रीमती अंगूरी देवी व पुत्री गैरसायल संख्या 01 के नाम खातेदारी दर्ज हो गयी थी और सायलान व गैरसायल नम्बर 01 एवं मूल दावे के प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 के बुजुर्गान के जमाने से ही वाहमी बंटवारा के आधार पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। जिसमें गैरसायल संख्या 01 ने अपनी खातेदारी की भूमि पूर्व वाहमी बंटवारे के कब्जा की भूमि का बेचान पूर्व में ही किया जा चुका है। गैरसायल संख्या 01 ने अपने पिता की कब्जेशुदा भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचान कर कब्जा संभला दिया है, लेकिन गैरसायल संख्या 01 ने अपनी बुजुर्ग माता के हिस्से की भूमि का हकत्याग द्वारा अपने नाम खातेदारी दर्ज करा ली है तथा मौक पर गैरसायल संख्या 01 ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजीयात का बेचान कर दिया है।

सायलान ने उक्त आराजीयात के आपस में सहमति से विधिक रूप से बंटवारा कर रेवेन्यू रिकॉर्ड में अलग–अलग खसरा कायम कर नक्शा ट्रेस में कराने के लिए कहा तो गैरसायल संख्या 01 अजखुद उक्त भूमि का विधिक बंटवारा कराने को राजी नहीं है तथा रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज भूमि का बिना विधिक बंटवारा कराये ही दीगर व्यक्तियों को जबरदस्ती कब्जा कराकर विक्रय पत्र पंजीकृत कराना चाहती है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृरूष्टया केस बखूबी साबित है।

दिनांक 05.07.2023 को सायलान उक्त भूमि पर बाजरा की फसल बोने गये तो गैरसायल संख्या 01 अपने साथ अपने परिजनों को मय हथियार के किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा कराकर बाजरे की फसल ट्रेक्टर द्वारा बोने लगी तो सायलान ने हाथ जोडकर कहा कि आप उक्त भूमि पर जबरदस्ती किसी अनय व्यक्तियों को कब्जा नहीं करा सकती हैं तो गैरसायल संख्या 01 व उसके परिजन एकदम नाराज हो गये और सायलान को जान से मारने की धमकी देने लगे कि हमारा लट्‌ठ का जोर है, हम इन खेतों पर कब्जा करके किसी अन्य व्यक्तियों को विक्रय पत्र पंजीकृत कराकर रहेंगे, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, तब सालान ने गैरसायल संख्या 01 से हाथ जोडकर अनुनय विनय किया कि आप अपने पिता क हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का पहले ही बेचान कर चुकी हैं, आप हमारे हिस्से की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकती हैं, सायलान ने गैरसायल नम्बर 01 व उसक परिजनों को काफी समझाया लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए। गैरसायल संख्या 01 बेईमानीपूर्वक उक्त भूमि का बिना विधिक बंटवारा किये दीगर लोगों को विक्रय पत्र पंजीकृत कराना चाहती है। अगर गैरसायलान अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गए तो सायलान अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार के दृव्य से संभव नहीं हो सकेगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि कवे आराजीयात खसरा नम्बर 1587 रकवा 0.22 है0, खसरा नम्बर 1590 रकवा 1.30 है0, खसरा नम्बर 1612 रकवा 0.05 है0, खसरा नम्बर 1624 रकवा 0.07 है0, खसरा नम्बर 1587/1971 रकवा 0.14 है0 वाके ग्राम लहचौडा, तहसील सूरौठ, जिला करौली में से सायलान की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि से उन्हें जबरन लट्‌ठ के बल पर बेदखल कर कब्जा नहीं करें और ना किसी अन्य से करावें और ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे उक्त आराजीयात सायलान के हकहकूक व विधिक अधिकारों को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचे ताा गैरसायल नम्बर 01 उक्त खसरा नम्बर [illegible] को दीगर लागों को विक्रय कर विक्रय पत्र पंजीकृत नहीं करावें और सायलान को उक्त [illegible] व कब्जेकाश्त की भूमि का शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग करने देवें तथा उक्त भूमि की रिकॉर्ड [illegible] की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डॉक द्वारा की गई। गैरसायल नं0 01 की ओर से श्री मुरारीलाल करसोलिया एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया एवं प्रकरण में गैरसायल नं0 01 की ओर से जबाव पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल नं0 02 वावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर आदेशिका दिनांक 17.10.2023 द्वारा गैरसायल नं0 02 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रकरण में प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई प्रार्थीगण वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को

Signature Not Ve
Digitally signed by H
Date: 2024.09.25 11
Reason: SelfAttested

अधिकारी
(करौली)

दोहराया गया तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त बिन्दुओं को नकारते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि संयुक्त खातेदारी की भूमि पर समस्त अंशधारी खातेदार पूर्णभूमि पर काबिज होते हैं तथा उभयपक्ष की दौराने दावा पेचिदगियॉं पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दिनांक 18.07.2023 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी की मौका एवं रिकॉर्ड की स्थिति ताफैसला बनाये रखें।

27/03/24

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 11:57:22 IST
Reason: SelfAttested